Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में पुलिस थाना ईटावा का हैड कानिस्टेबल 7 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की कोटा इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये नाहर सिंह हैड कानिस्टेबल, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी विनायका, पुलिस थाना ईटावा, जिला कोटा ग्रामीण को परिवादी से 7 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी नाहर सिंह हैड कानिस्टेबल, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी विनायका, पुलिस थाना ईटावा, जिला कोटा ग्रामीण द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बगडोलिया** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नाहर सिंह पुत्र श्री अजीराम जाट निवासी ग्राम गण्डुरा, तहसील लक्ष्मणगढ़, थाना बड़ौदामेव, जिला अलवर हाल हैड कानिस्टेबल, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी विनायका, पुलिस थाना ईटावा, जिला कोटा ग्रामीण को परिवादी से **7 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा परिवादी से पहले ही 8 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।